

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ- /1/ सा.प्र.पि./विविध/2024/504

भिलाई, दिनांक 8/8/24

आदेश

स्वतंत्रता सप्ताह (09 से 15 अगस्त 2024) के दौरान “हर घर तिरंगा” कार्यक्रम हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई में छ.ग. शासन द्वारा जारी किये गये परिपत्र के अनुक्रम में निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है :-

क्रं	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी अधिकारी
1	2	3
1	तिरंगा रैलियाँ – <ul style="list-style-type: none"> ● बाइक, साइकिल और कार रैलियाँ का आयोजन की व्यवस्था करना। 	जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5
2	तिरंगा दौड़ और मैराथन – <ul style="list-style-type: none"> ● स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा के मूल्यों को मनाने के लिए दौड़ और मैराथन का आयोजन किया जाना है। 	जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5
3	तिरंगा मेला – <ul style="list-style-type: none"> ● स्थानीय कारीगरों के समर्थन द्वारा तिरंगा मेला का आयोजन किया जाना है। ● कार्यक्रम स्थलों के चारों ओर झंडे, वस्त्र और खाद्य पदार्थ बेचने के लिए स्टॉल लगाया जाना है। <p>तिरंगा कैनवास –</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तिरंगा मेला कार्यक्रम स्थलों पर तिरंगा कैनवास स्थापित किया जाना है जहां लोग किसी भी भारतीय भाषा में “हर घर तिरंगा” या “जय हिंद” लिख सकते हैं। ● प्रत्येक कैनवास का डिजाइन राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात (3:2) में होगा। तिरंगा कैनवास का संदर्भ डिजाइन टेम्पलेट हर घर तिरंगा वेबसाइट (harghartiranga.com) पर उपलब्ध हैं। ● स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगा के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। 	श्री अमन पटले मिशन मैनेजर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
4	तिरंगा प्रतिज्ञा – <ul style="list-style-type: none"> ● स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रमों में तिरंगा प्रतिज्ञा शामिल किया जाना है। तिरंगा प्रतिज्ञा हर घर तिरंगा वेबसाइट (harghartiranga.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। <p>तिरंगा सेल्फी –</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को ध्वज फहराने और तिरंगा के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। जिन्हें हर घर तिरंगा वेबसाइट (harghartiranga.com) पर अपलोड किया जाना है। 	श्री अजय कुमार शुक्ला प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी

क्रमश.....

क्रं	कार्यक्रम का विषय	कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रभारी अधिकारी
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रमाणपत्रों को सोशल मीडिया पर #HarGharTiranga और #HGT2024 के साथ साझा किया जाना है। तिरंगा सम्मान - ● स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों, साथ ही उनके परिवारों को रथानीय कार्यक्रमों में याद कर सम्मानित किया जाना है। ● पैम्पलेट, बैनर, स्टैण्डिज आदि के माध्यम से स्वतंत्रता सप्ताह "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाने रथानीय भाषाओं में प्रमुखता से प्रचार-प्रसार किया जाना है। ● कार्यक्रम अवधि के दौरान सभी कार्यालयों एवं सभी घरों में तिरंगा फहाराने के लिए सभी कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ ही, आम नागरिकों को भी डाकघरों से झण्डा क्रय करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है। 	<p>श्री अजय कुमार शुक्ला प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी</p>

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करावें एवं संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :—प्रपत्र

पृ.क्र./एफ— /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/505

अयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक... 8/9/24

प्रतिलिपि :—

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5-नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता भवन संधारण नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. श्री अजय कुमार शुक्ला, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. श्री अमन पाटले मिशन मैनेजर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

अयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

जिला/राज्य का नाम :
दिनांक :

क्र.	विवरण	संख्या का उल्लेख करें
1.	कुल तिरंगा यात्राएँ आयोजित	
2.	कुल तिरंगा रैलियाँ : साइकिल/कार/याइक	
3.	कुल तिरंगा मेले आयोजित	
4.	कुल तिरंगा कॉन्सटर्स आयोजित	
5.	तिरंगा प्रतिज्ञा और तिरंगा सेल्फी अपलोड के साथ कुल कार्यक्रम	
6.	कुल तिरंगा कैनवास हस्ताक्षरित	
7.	क्या राज्य स्तर का हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया (मुख्यमंत्री और/या राज्यपाल/लेपिटनेंट गवर्नर की उपस्थिति)	हाँ/नहीं तिथि का उल्लेख करें।
8.	क्या मुख्यमंत्री/राज्यपाल/लेपिटनेंट गवर्नर और राज्य मंत्रियों द्वारा ट्वीट किए गए	हाँ/नहीं